संख्या-1055/2025/1857/22-2-2024-17(488)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 22 अगस्त, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सुग्रीव मिश्रा पुत्र श्री जगदीश मिश्रा, निवासी जनपद-देवरिया की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुग्रीव मिश्रा पुत्र श्री जगदीश मिश्रा, ग्राम-बनकटा मिश्र, थाना-भाटपार रानी, जनपद-देवरिया का निवासी है। बन्दी द्वारा मुकदमे की रंजिश को लेकर दिनांक 30.05.1983 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व कट्टा से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 199/1983 च 37/1984, धारा-302/34, 307/34 आई०पी०सी० व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवरिया के दण्डादेश दिनांक दिनांक 15.04.1986 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.07.2016 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 23.08.2024 तक अपरिहार 08 वर्ष, 24 दिन तथा 10 वर्ष, 01 माह, 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 23.08.2024 तक 66 वर्ष, 01 माह, 08 दिन है।

3- सिद्धदोष बन्दी सुग्रीव मिश्रा पुत्र श्री जगदीश मिश्रा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 66 वर्ष, 01 माह, 08 दिन की आयु एवं बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 23.08.2024 तक अपरिहार 08 वर्ष, 24 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 01 माह, 11 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने एवं बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (02 व्यक्तियों की हत्या) के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सुग्रीव मिश्रा (बन्दी संख्या-115/2018) पुत्र श्री जगदीश

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मिश्रा, निवासी जनपद-देवरिया की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1055/2025/1857(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।